



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022021-225095
CG-DL-E-11022021-225095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2021/माघ 21, 1942

No. 578]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2021/MAGHA 21, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2021

का.आ. 632(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी.137.900 (शामली से सहारनपुर खण्ड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को

व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी.137.900
(शामली से सहारनपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित
भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: शामली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: शामली					
गांव का नाम: बनत					
1	1126	निजी	एग्रीकल्चर	771.0000000(वर्ग मीटर)	0.0771000
2	1171/1	निजी	एग्रीकल्चर	3,860.0000000(वर्ग मीटर)	0.3860000
3	1209	निजी	एग्रीकल्चर	1,516.0000000(वर्ग मीटर)	0.1516000
गांव का नाम: शामली					
1	4032	निजी	एग्रीकल्चर	1,424.0000000(वर्ग मीटर)	0.1424000
2	4033	निजी	एग्रीकल्चर	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
गांव का नाम: ताजपुर सिंभालका					
1	724	निजी	एग्रीकल्चर	453.0000000(वर्ग मीटर)	0.0453000
2	737	निजी	एग्रीकल्चर	388.0000000(वर्ग मीटर)	0.0388000
कुल				8,462.0000	0.8462

[फा. सं. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghpat/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2021

S.O. 632(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH709B in the stretch of land from Km. 67.3 to Km. 137.900 (Shamli - Saharanpur Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer, Saharanpur in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH709B in the stretch of land from Km. 67.3 to Km. 137.900 (Shamli - Saharanpur Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH		District: SHAMLI			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Shamli					
Village: Banat					
1	1126	Private	Agriculture	771.0000000(Square Meter)	0.0771000
2	1171/1	Private	Agriculture	3,860.0000000(Square Meter)	0.3860000
3	1209	Private	Agriculture	1,516.0000000(Square Meter)	0.1516000
Village: Shamli					
1	4032	Private	Agriculture	1,424.0000000(Square Meter)	0.1424000
2	4033	Private	Agriculture	50.0000000(Square Meter)	0.0050000
Village: Tajpur Simbhalka					
1	724	Private	Agriculture	453.0000000(Square Meter)	0.0453000
2	737	Private	Agriculture	388.0000000(Square Meter)	0.0388000
Total				8,462.0000	0.8462

[F. No. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghpat/3A1]

RAJESH GUPTA, Director